[13/2/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 1492]

"परिशिष्ट"

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1492
द्वारा माननीय विधायक श्री नारायण सिंह पट्टा।

सदन में उत्तर देने का दिनांक - 13.02.2024

~~प्रपत्र-अ~~

क्रमांक	श्रमिकों द्वारा की गई शिकायत	निराकरण
1	श्रमिकों द्वारा मजदूरी का शीघ्र भुगतान करने की शिकायत।	फर्म मेसर्स एम.फैयाज को शीघ्र भुगतान करनें का निर्देश प्रदान किया गया तथा श्रमिकों का भुगतान कराया गया।
2	श्रमिकों के पक्ष में भारतीय ठेका मजदूर संघ द्वारा श्रम पदाधिकारी अनूपपुर मे शिकायत की गई की श्रमिकों को हाजिरी कार्ड वेतन पर्ची नही दी जाती एवं समय पर भुगतान नही किया जाता। तथा श्रमिकों को संरक्षा उपकरण नही प्रदान किये गये है।	फर्म मेसर्स दास इन्जीनिरिंग को निर्देशित कर श्रमिकों को हाजिरी कार्ड,वेतन पर्ची,संरक्षा उपकरण प्रस्तुत कराया गया तथा समय पर वेतन प्रदान करने का निर्देश प्रदान किया गया एवं भुगतान कराया गया।
3	दिनांक 20/06/2023 को श्रमिकों द्वारा शिकायत की गई की वेतन पर्ची उपस्थिति पत्रक एवं बोनस,ई.एल. फर्म मेसर्स मिनी इन्टरप्राइजेज द्वारा नही दिया जा रहा है तथा पत्र दिनांक 18/07/2023 द्वारा हाजिरी कम करके वेतन का भुगतान करने की शिकायत की गई। तत्संबंध की शिकायत श्री राजकुमार द्वारा सीएम हेल्पलाईन एवं श्रम पदाधिकारी अनूपपुर में भी की गई।	फर्म को वेतन पर्ची उपस्थिति पत्रक एवं बोनस ई.एल. देने तथा उपस्थिति पंजी के अनुसार वेतन देने का निर्देश प्रदान किया गया। उपरोक्त शिकायत के निराकरण के लिये मिनी इन्टरप्राईजेज सारनी द्वारा पत्र क्रमांक 365 दिनांक 05/08/2023 द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि श्रमिकों का वेतन श्रम आयुक्त इन्दौर के दिशा निर्देश के अनुसार किया जा रहा है तथा ई.एल.बोनस का भुगतान वेतन के साथ किया जा रहा है। तथा फर्म द्वारा वेतन पर्ची देना भी सुनिश्चित किया गया। जाँच करने पर सही पाया गया कि उपस्थिति पंजी के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है एवं ई.एल.बोनस का भुगतान वेतन के साथ किया जा रहा है। तत्संबंध में मेसर्स मिनी इन्टरप्राइजेज द्वारा श्रमिकों के हस्ताक्षर के साथ सहमत पत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया जिसमें श्रमिकों द्वारा कहा गया कि शिकायतों का समाधान फर्म द्वारा किया जा चुका है।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल